राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

निदेशालय विशेष योग्यजन

मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल योजना-2017

(1) प्रस्तावना :-

राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन जो कि मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल चलाने में सक्षम हो, को नियमित अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा हेतु सुलभ आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल उपलब्ध करवाये जाने की योजना।

(2) पात्रता एवं शर्तें एवं वांछित दस्तावेज :-

i. **आय प्रमाण पत्र** :-माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यार्थी की आय को सम्मिलित करते हुये) 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो। इस हेतु प्रार्थी को संलग्न प्रारूपानुसार आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना न हो।

ii. **निःशक्ता प्रमाण पत्र** :-चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन को चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन-निःशक्ता के प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

iii. **मूल निवास प्रमाण पत्र** :-अभ्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी)

iv. **आयु प्रमाण पत्र** :-अभ्यार्थी की आयु 16 वर्ष से कम व 30 वर्ष से अधिक न हो। (इस हेतु अभ्यार्थी आवेदन के साथ 10वीं की अंक तालिका की प्रति प्रस्तुत करें)

v. **नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र** :-अभ्यार्थी द्वारा अध्ययनरत विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

vi. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र** :-अभ्यार्थी द्वारा न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

vii. **शपथ पत्र** :-अभ्यार्थी द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल/बैट्री चलित वाहन प्राप्त नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

viii. **फोटो** :-अभ्यार्थी द्वारा स्वयं की 4 फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

ix. **ड्राईविंग लाईसेन्स** :-अभ्यार्थी द्वारा वाहन चलाने के ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। (18 वर्ष से कम आयु के अभ्यार्थी के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाईसेन्स)

x. **भामाशाह एवं आधार कार्ड की प्रति** :-अभ्यार्थी द्वारा भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

xi. **अभ्यार्थी मोटराईज्ड ट्राई साईकिल चलाने में सक्षम**:- चलन निःशक्तता वाले अभ्यार्थी के दोनों हाथ सही हो तथा मोटराईज्ड ट्राई साईकिल चलाने में सक्षम हो

Scanned by CamScanner

(3) आवेदन की प्रक्रिया

अभ्यार्थी द्वारा योजना की पात्रता एवं शर्तो के अनुरूप निर्धारित आवेदन भरकर मय वांछित पूर्ण दस्तावेजों के संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति की पावती रसीद अभ्यार्थी को दी जायेगी।

(4) चयन प्रक्रिया

उपरोक्त पात्रता एवं शर्तो को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संबंधित जिले के जिला कलक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करवाकर उनके समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होगें। अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में चयन समिति आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय की न्यूनता एवं विशेष योग्यजन की अधिक निःशक्तता के आधार पर स्वविवेक से चयन करने का निर्णय लेगी। चयन समिति निम्नानुसार होगी :-

1. जिला कलक्टर : अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी : सदस्य
3. जिला परिवहन अधिकारी : सदस्य
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) : सदस्य
5. जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग : सदस्य सचिव

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- sp-3 5.x.17.

1. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त (विशेष योग्यजन) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, वित्त (आयोजना/व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या .... दिनांक .... के क्रम में।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
9. जिला कलक्टर, ...
10. जिला कोषाधिकारी, ...
11. संयुक्त निदेशक (योजना), शासन सचिवालय, जयपुर।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन।
13. समस्त अधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन।
14. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
15. गार्ड फाईल।

निदेशक

Scanned by CamScanner